न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुण्डा, प्रतापगढ़।

UPPG160034532026

Bail Application/380/2026
सरकार उ.प्र. बनाम इमरान खान उर्फ आशू
दिनांक–30.05.2026

प्रथम अन्तरिम जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त **इमरान खान उर्फ आशू** की ओर से मुकदमा संख्या–4548/2024, अन्तर्गत धारा–85, 115(2) बी०एन०एस० एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना–हथिगंवा, जनपद प्रतापगढ़ के मामले में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त सशरीर न्यायालय में उपस्थित है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

दौरान जमानत आवेदन सुनवाई वादिनी मुकदमा/पीड़िता की ओर से विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत आवेदन की कॉपी की मांग की गयी है।

प्रस्तुत प्रकरण घरेलू हिंसा/विवाहेतर सम्बन्धी विवाद से सम्बन्धित है। अभियुक्त प्रकरण का मुख्य आरोपी है तथा प्रकरण की पीड़िता/वादिनी का पति है। प्रकरण में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल है। प्रस्तुत प्रकरण में समस्त तथ्यों परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये सुलह समझौता हेतु अभियुक्त को अन्तरिम जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की विधि व्यवस्था Smt. Bacchi Devi vs State of U.P. and Another, Neutral Citation No.– 2025: AHC: 136034 के पैरा 38 (I) के अनुपालन में हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त मो० आजम द्वारा मुवलिग २५,०००/– रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं अंडरटेकिंग दाखिल करने पर उसे अन्तरिम जमानत पर दिनांक–**05.06.2026** तक के लिये निम्नलिखित शर्तों के अधीन रिहा किया जाता है।

१. प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक– **16.06.2026** को सुलह समझौता केन्द्र, प्रतापगढ़ में उपस्थित होकर पीड़िता/वादिनी के साथ सुलह समझौता का प्रयास करे तथा सुलह समझौते की प्रगति से नियत तिथि को न्यायालय को अवगत करायें।

२. **जमानत प्रार्थना पत्र के विरूद्ध आपत्ति हेतु वादिनी को अविलंब जमानत प्रार्थना पत्र की कॉपी अभियुक्त प्रदान करे।**

३. वादिनी भी व्यक्तिगत रूप से नियत तिथि को सुलह समझौता केन्द्र में उपस्थित हो।

४. प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक **22.06.2026** को न्यायायल में उपस्थित होकर आत्म–समर्पण करेगा।

५. प्रार्थी/अभियुक्त अंतरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा एवं नियमित जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु नियत प्रत्येक तिथि को न्यायालय में उपस्थित होगा।

सम्बन्धित लिपिक नियमानुसार प्रपत्र सुलह समझौता केन्द्र,प्रतापगढ़ भेजा जाना सुनिश्चित करे।

(आकृति गौतम)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कुण्डा, प्रतापगढ़

Digitally signed by AKRITI GAUTAM
Date: 2026.06.11 08:13:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

स्टेनो–सुनील कुमार पटेल (II)